न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः—195/2020(जीसीएमएस नम्बर 2020/00204)

1. भगवान सहाय पुत्र प्रेमा,
2. सांवल्या पुत्र गणेश,
3. लक्ष्मीनारायण पुत्र ग्यारसा,
4. श्रीचन्द पुत्र ग्यारसा, समस्त जाति मीना निवासी ग्राम चक भगलाई तहसील दौसा जिला दौसा।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. ग्राम पंचायत श्यालावास जरिये सरपंच पंचायत समिति लवाण तहसील नांगल राजावतान तहसील दौसा जिला दौसा।
2. तहसीलदार तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा।
3. विकास अधिकारी पंचायत समिति लवाण जिला दौसा।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद दौसा।
5. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर दौसा

——रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः—
1. श्री राजाराम चौधरी एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 5 की ओर से

निर्णय

दिनांक 10.06.2024

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2011 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहरात हुए कथन किया है कि ग्राम पंचायत श्यालावास तत्कालीन पंचायत समिति दौसा के प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 05.05.2010 के अनुरोध पर तत्कालीन तहसीलदार भू अधिकारी दौसा के पत्र क्रमांक 9329 दिनांक 20.12.2010 एवं उपखण्ड अधिकारी दौसा के पत्र क्रमांक 618 दिनांक 28.12.2010 के द्वारा ग्राम चक भगलाइ तहसील दौसा स्थित चारागाह भूमि खसरा नम्बर 1 रकबा 6.14 हैक्टयर में से 0.20 हैक्टयर भूमि सार्वजनिक सामुदायिक भवन निमार्ण व ग्राम पंचायत श्यामलावास हेतु चारागाह से सेट—अर्पाट करते हुए आवंटित की गई इसकी जानकारी प्रभावित व्यक्तियों को होने के बाद कानूनी सलाह मशवरा कर अपील पेश किया जाना आवश्यक हुआ है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि खसरा नम्बर 1 रकबा 6.14 हैक्टयर किस्म चारागाह पर ग्रामवासी अपने मवेशी कराकर सदैव से उपयोग उपभाग करते चले आ रहे है। ग्रामवासियों द्वारा सार्वजनिक उपयोग तलाई हैण्ड पम्प रास्ते और गांववासियों के खलियान हर प्रकार के उत्सव सार्वजनिक उपयोग आदि के काम ली जाती है। प्रस्तावित नजरी नक्शा में जिस स्थान पर भूमि चाही गई है, उस स्थान पर सार्वजनिक हैण्ड पम्प है और कबीर पंथ के

P.T.O.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

संत श्री गणेशदास जी महाराज श्री श्रवणदास जी महाराज के चरण स्थापित है और पास में ही एक बहुत पुराना मकान सार्वजनिक उपयोग हेतु कबीर पंथ के संत व सेवक के बैठने, विश्राम, सत्संग आदि करने लिऐ बना हुआ है। वह प्रस्तावित स्थान अपीलान्ट श्रीचन्द की आबादी भूमि से पश्चिम–दक्षिण करीब सौ फीट दूर का भाग महदूद है वहॉ पर बहुत सारे पेड जामून, बील पत्र, नीम, शीशम, आशेक, कटहल, आम, सागवान, इत्यादि सैकडों पेड है और करीब 400 फीट उत्तर–दक्षिण रामसिंहपुरा रोड से गैर मु, तलाई तक लम्बाई एवं करीब 200 फीट की चौडाई करीब 4 बीघा भूमि संत आश्रम के हर प्रकार से काम आ रही है। इसी स्थल के भाग को आम जनता की जानकारी में लाये बिना और बिना कोई आमसभा हुई, केवल बनावटी फर्जी आमसभा प्रस्ताव कर कुछ पहुँच वाले लोगों ने नाजायज लाभ प्राप्त करने के लिए जानते–बुझते हुए कुत्सित उदेश्य से सार्वजनिक उपयोगी की भूमि को चारागाह से सेट अर्पाट कराई गई है, जो विधि विरूद्ध होने से काबिले खारिज है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के मन्डेटरी प्रावधान के विरूद्ध एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित रूलिंग की पालना के विपिरित जिला कलक्टर दौसा द्वारा सार्वजनिक नोटिस निकाले बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो नेसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से खारिज योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि चारागाह भूमि आवंटन के लिये प्रतिबंधित श्रेणी में आती है फिर भी यदि चारागाह भूमि को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवंटित किया जाता है तो उस चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति की जानी कानूनन आवश्यक है किन्तु अधीनस्थ जिला कलक्टर दौसा द्वारा प्रकरण में आवंटित चारागाह भूमि की कोई क्षतिपूर्ति नही की गई, जो आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2011 निरस्त फरमाने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 5 ने कथन किया है कि जिला कलक्टर दौसा द्वारा उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर एवं ग्राम पंचायत व उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार की अनापत्ति पर ही आदेश दिनांक 28.02.2011 पारित किया गया है, जो विधि सम्मत होने से अपीलार्थीगण की अपील खारिज फरमाई जावें।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे विदित होता है कि तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी द्वारा भूमि को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु प्रस्ताव भिजवाने एवं ग्राम पंचायत की अनापत्ति होने पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2011 द्वारा चारागाह भूमि खसरा नम्बर 1 रकबा 6.14 हैक्टयर में 0.20 हैक्टयर भूमि की किस्म परिवर्तन कर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवंटित किया गया है किन्तु आवंटित भूमि जल भराव क्षेत्र में है अथवा नही, आवंटन से जल प्रवाह बाधित होता है अथवा नही, बाबत कोई परीक्षण भी पत्रावली पर उपलब्ध नही है। प्रकरण में चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति किये जाने संबंधी कोई साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात पत्रावली के संलग्न नही पाये गये है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय

P.T.O.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

द्वारा जगपाल सिंह बनाम पंजाब सरकार तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार, प्रकरणों में पारित निर्णयों के परिपेक्ष्य में भी कोई विवेचना किया जाना पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात नही होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ कार्यालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2011 रिमाण्ड किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ कार्यालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2011 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ जिला कलक्टर दौसा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण का उपरोक्त तथ्यों के सम्बन्ध में पुनः परीक्षण कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(डॉ0प्रवीण कुमार)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 10.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर।